

दिनांक: 3/07/2010

पत्रांक: 332/10 आदि/10

कार्यालय झाप

प्रदेश के मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में आवासीय भवनों के कुर्सी क्षेत्रफल दरों (प्लिन्थ एरिया रेट्स) का नि
इस कार्यालय के पत्रांक 267/55 भवन -2008 दिनांक 22.02.2008 द्वारा किया था, जो 25.02.2008 से प्रभावी
25.02.2003 से अब तक प्लिन्थ एरिया दरों का पुनः निर्धारण नहीं हुआ। विगत दो वर्ष के अन्तराल में अब तक
निर्माण से सम्बन्धित सामग्री एवं श्रमिकों की दरों में काफी वृद्धि हो गई है। क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा सरपुत क
दरों एवं विभिन्न बैठकों में हुए विचार विमर्श के आधार पर भवन निर्माण हेतु कुर्सी क्षेत्रफल दरें संलग्न-6 पृष्ठों में
गये विवरणों के अनुसार एतद्वारा निर्धारित की जाती है। यह दरें दिनांक 3.7.2010 से प्रभावी होंगी।

यह दरें केवल प्रारम्भिक आगणन गणित किये जाने हेतु प्रयोग की जायेंगी।

(ललित मोहन)
मुख्य अभियन्ता स्तर-
लोक निर्माण विभाग देह

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञान हेतु।
5. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमाँऊ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा।
6. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, यमुना कालोनी, देहरादून।
7. महाप्रबन्धक, उत्तरांचल पेयनल संसाधन, विकास एवं निर्माण निगम, 11 भोहनी रोड देहरादून।
8. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, देहरादून।
9. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
10. प्रबन्ध निदेशक, कुमाँऊ मण्डल विकास निगम, नैनीताल।
11. महाप्रबन्धक (उत्तराखण्ड), उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, देहरादून।
12. टी0ए0सी0, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
13. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल।
14. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर-I, II / अधिशासी अभियन्ता-I, II, III, IV, V, VI कार्यालय मुख्य अभियन्ता
स्तर-I, लोक निर्माण विभाग देहरादून।
15. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
16. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रां), कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-I, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

(ललित मोहन)
मुख्य अभियन्ता स्तर
लोक निर्माण विभाग देह

✓ Circulars
Buildings etc

Old plinth area rates dt 3.7.2010

I.T
Upward only
Date

23.01.18 EE

आवासीय एवं अनावासीय भवनों हेतु कुर्सी क्षेत्रफल दरें (रूपये प्रति वर्गमीटर में)

दिनांक 15.6.2010 से प्रभावी

क्र.सं.	विवरण	अनावासीय			आवासीय			
		उच्च आवासीय भवन, महापालिका, सर्किट हाउस, महाविद्यालय, अस्पताल, मैडीकल कॉलेज	मध्य अनावासीय भवन, इन्टर कॉलेज, हाईस्कूल, कावाभार कार्यालय, गोदाम, खाद्य सर्वरक, स्वास्थ्य केन्द्र	साधारण अनावासीय भवन, ग्राइनर्स स्कूल, जूनियर हाईस्कूल, परिवार कल्याण, छोटे भवन, बैरक,	निम्न श्रेणी कमचारा हेतु आवास, श्रेणी-1	हालात आवास श्रेणी-2 व 3	अधिकारियों हेतु आवास श्रेणी-4	उच्चाधिकारियों हेतु आवास श्रेणी-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कुर्सी क्षेत्रफल (वर्ग मी०) मूलत				42.95	57.70 & 79.00	125- 178.50	225.4
1.1	शून्य-तल	7730	7230	6810	6000	6690	7200	7330
1.2	प्रथम-तल	6960	6500	6130	5400	6020	6480	6600
1.3	द्वितीय-तल	7730	7230	6810	6000	6690	7200	7330
1.4	तृतीय-तल	8500	7950	7490	6600	7360	7920	8060
1.5	चतुर्थ-तल	9350	8750	8240	7250	8100	8700	8870
1.6	पंचम-तल	10300	9620	9060	7990	8900	9580	9750
2	अतिरिक्त प्राविधानों के लिए							
2.1	सामान्य ऊंचाई 3.00 मी से ऊपर प्रत्येक 0.30 मीटर ऊंचाई के लिए	210	210	210	210	210	210	210
2.2	सामान्य कुर्सी ऊंचाई 0.60 मी से अधिक प्रत्येक 0.30 मीटर ऊंचाई के लिए (केवल शून्य-तल के लिए)	200	200	200	200	200	200	200

क्र०सं०	विवरण	अनावासीय			आवासीय			
		उच्च आवासीय भवन, न्यायालय, सर्किट हाउस, महाविद्यालय, अस्पताल, मैडीकल कॉलेज	मध्य अनावासीय भवन, इन्टर कालेज, हाईस्कूल, कोषागार कार्यालय, मोदाम, खाद्य उर्वरक, स्वास्थ्य केन्द्र	साधारण अनावासीय भवन, प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाईस्कूल, परिवार कल्याण, छोटे भवन, बैरक,	निम्न श्रेणी कर्मचारी हेतु आवास, श्रेणी-1	साधारण आवास श्रेणी-2 व 3	अधिकारियों हेतु आवास श्रेणी-4	उच्चाधिकारियों हेतु आवास श्रेणी-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3	सामान्य नीव/राफ्ट नीव में गहराई 1.20 मी से अधिक प्रत्येक 0.30 मी गहराई हेतु (केवल नू-तल के लिए)	300	300	300	300	300	300	300
2.4	बाद में कभी एक अतिरिक्त भण्डार हेतु दृढतल नीव बनाने के लिए (केवल अतिरिक्त क्षेत्रफल पर जितना निर्माण होना है)	460	430	410	360	410	430	430
3	नीव							
3.1	प्रति कंक्रीट (आर०सी०सी०) राफ्ट नीव के लिए (अधी०अधि० की संस्तुति के आधार पर केवल नू-तल क्षेत्रफल हेतु)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
4	सूक्ष्म रोधी संरचनाओं के लिए अतिरिक्त							
4.1	वेड वियरिंग दीवारों हेतु (कालम 4.2 व 4.3 देखें नहीं होगा)	370	370	370	370	370	370	370

